R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड VI ◆ अंक 1
जुलाई 2009

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

बिक्री स्थलों पर नकदी आहरण

प्लास्टिक मनी के प्रयोग में ग्राहकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए किए जा रहे प्रयास के रूप में रिज़र्व बैंक ने अब बिक्री के स्थलों (पाइंट-ऑफ-सेल) पर नकदी आहरित करने की अनुमति दी है। शुरुआत में यह सुविधा प्रतिदिन 1000 रुपए तक भारत में जारी सभी डेबिट कार्डों के लिए उपलब्ध होगी। तथापि, यह सुविधा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:

- यह सुविधा केवल भारत में जारी डेबिट कार्डों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- बिक्री के स्थलों (पीआएस टर्मिनल) पर आहरित की जाने वाली अधिकतम राशि प्रतिदिन 1000 रुपए निर्धारित की गई है।
- यह सुविधा बैंक द्वारा उचित विचार-विमर्श करने के बाद नामित किए गए किसी भी वाणिज्यिक संस्था पर उपलब्ध होगी।
- यह सुविधा चाहे कार्ड धारक ने खरीद की हो अथवा खरीद न की हो को ध्यान में रखे बगैर उपलब्ध होगी।
- यदि यह सुविधा माल की खरीद के साथ प्राप्त की गई हो तो रसीद में नकद आहरण की राशि को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।
- उक्त सुविधा प्रदान करने वाली बैंकों को उचित ग्राहक शिकायत निवारण सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। इससे संबंधित शिकायतें बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आएगी।

इस सुविधा को प्रदान करने के इच्छुक बैंकों को अपने निदेशक बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। बोर्ड को प्रस्तुत की गई टिप्पणी में उत्पाद का प्रोफाईल, बैंक द्वारा आशंकित जोखिम और जोखिम के समाधान के उपाय को शामिल करना चाहिए। बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग से एक-बारगी अनुमति भी प्राप्त करनी होगी। (आवेदन के साथ बोर्ड/बोर्डों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई टिप्पणी की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।)

तैयार वायदा संविदाएँ

रिज़र्व बैंक ने उन गैर सूचीबद्ध कंपनियों को तैयार वायदा संविदाओं में कारोबार करने की अनुमति कतिपय शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन दी है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूतियाँ जारी की गई हैं और जिनके गिल्ट खाते अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में हैं।

तदनुसार निम्नलिखित श्रेणियों की संस्थाएँ सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाओं में कारोबार (चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास बाजार रिपो, न कि रिपो) करने के लिए पात्र हैं:

क) वे व्यक्ति अथवा संस्थाएँ जिनका सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खाता रिज़र्व बैंक, मुंबई में है, तथा

ख) उन श्रेणियों की संस्थाएँ जिनका एसजीएल खाता रिज़र्व बैंक के पास नहीं है लेकिन किसी बैंक अथवा किसी ऐसी संस्था के पास गिल्ट खाता है (अर्थात गिल्ट खाताधारक) जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा उसके लोक ऋण कार्यालय, मुंबई में ग्राहकों का सहायक सामान्य लेजर खाता (सीएसजीएल खाता) रखने की अनुमति है:

i) कोई भी अनुसूचित बैंक;

ii) रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई भी प्राथमिक व्यापारी;

iii) कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो (सरकारी कंपनियों से इतर, जैसाकि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित है);

iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत कोई भी म्युच्युल निधि;

v) राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत कोई भी आवासीय वित्तीय कंपनी;

vi) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत कोई भी बीमा कंपनी;

vii) कोई भी गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक;

viii) कोई भी सूचीबद्ध कंपनी जिसका गिल्ट खाता किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास हो; तथा

ix) ऐसी कोई भी गैर सूचीबद्ध कंपनी जिसे भारत सरकार द्वारा विशेष प्रतिभूतियाँ जारी की गई हों तथा जिसका गिल्ट खाता किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक में हो।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
बिक्री स्थलों पर नकदी आहरण	1
तैयार वायदा संविदाएँ	1
बासल II ढाँचे का उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के लिए समय-सारणी	2
फेमा	
भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गम	2
बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में संशोधन	3
शहरी सहकारी बैंक	
प्रावधानों को विवेकपूर्ण मानना	3
ग्राहक सेवा	
बैंक अधिकारियों के संपर्क ब्यौरे प्रदर्शित करना	3
मज़बूत विनियमन में परिवर्धन तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ करने पर जी 20 कार्यदल की सिफारिशें	4

पात्र गैर सूचीबद्ध कंपनियों पर तैयार वायदा संविदाओं में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रतिबंध लागू होंगे:

क) पात्र गैर सूचीबद्ध कंपनियाँ, भारत सरकार द्वारा उन्हें जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर ही रिपो संविदा के पहले चरण में निधि उधारकर्ता के रूप में तैयार वायदा लेन देन में कारोबार कर सकती हैं; तथा

ख) पात्र गैर सूचीबद्ध कंपनियों के प्रतिरूप में कोई ऐसा बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी होना चाहिए जिसका रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता हो।

बासल II ढाँचे का उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के लिए समय-सारणी

बैंकों द्वारा बासल II ढाँचे के अंतर्गत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोण अपनाये जाने से होने वाली संभावित पूंजीगत दक्षता, जोखिम प्रबंध ढाँचे के आवश्यक उन्नयन तथा इस संबंध में उभरती अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने भारत में उन्नत दृष्टिकोणों को लागू करने के लिए एक समय अनुसूची निर्धारित की है। इससे बैंक ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए) अपनाने के लिए योजना बना सकेंगे और इस हेतु तैयारी कर सकेंगे। समय-सारणी निम्नानुसार है:

क्र. सं.	दृष्टिकोण	भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करने की आरंभिक तारीख	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन दिये जाने की संभावित तारीख
1.	बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण	1 अप्रैल 2010	31 मार्च 2011
2.	परिचालन जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण	1 अप्रैल 2010	30 सितंबर 2010
3.	परिचालन जोखिम के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014
4.	ऋण जोखिम के लिए आंतरिक श्रेणी निर्धारण आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण (बुनियादी और उन्नत आइआरबी)	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014

बैंकों को सूचित किया गया कि वे बासल II दस्तावेज में परिकल्पित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त समय अनुसूची के अनुसार उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपनी तैयारी का आंतरिक आकलन करें और अपने बोर्ड के अनुमोदन से निर्णय लें कि क्या वे कोई उन्नत दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। उन्नत दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लेने वाले बैंक निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार आवश्यक अनुमोदन हेतु यथासमय रिज़र्व बैंक को संपर्क करना चाहिए। यदि बैंक के आंतरिक आकलन का परिणाम यह दर्शाए कि बैंक उपर्युक्त तारीखों तक उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के लिए आवेदन करने की स्थिति में नहीं है तो बैंक अपनी तैयारी के आधार पर कोई उपयुक्त परवर्ती तारीख का चुनाव कर सकता है।

बैंकों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपने विवेक से एक या अधिक जोखिम संवर्गों के लिए अपनी तैयारी के अनुसार उन्नत दृष्टिकोण अपनाएँ तथा अन्य जोखिम संवर्गों के लिए सरलतर दृष्टिकोण जारी रखें और यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी जोखिम संवर्गों के लिए एक ही साथ उन्नत दृष्टिकोण अपनाया जाए। तथापि, बैंकों को कोई भी उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए अनिवार्य रूप से रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

नये पूंजी पर्याप्तता ढाँचे से संबंधित 27 अप्रैल 2007 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों और भारत से बाहर परिचालनात्मक मौजूदगी वाले भारतीय बैंकों ने 31 मार्च 2008 से बासल II ढाँचे के अंतर्गत उपलब्ध अपेक्षाकृत सरल दृष्टिकोण अपनाये हैं। अन्य वाणिज्य बैंकों ने भी 31 मार्च 2009 से इन दृष्टिकोणों को अपनाया है। इस प्रकार, भारत में बैंकों के लिए ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल निर्देशक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (बासल II ढाँचे के अंतर्गत अंशतः संशोधित) लागू कर दिया गया है।

फेमा

भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गम

किसी घरेलू निक्षेपागार के माध्यम से भारत से बाहर पात्र निवासी कंपनियों को भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आइडीआर) जारी करने को सुविधाजनक बनाने तथा भारत में निवासी तथा भारत से बाहर के व्यक्तियों को भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आइडीआर) को खरीदने, धारण करने, अंतरित करने और उसे मोचित करने की अनुमति देने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय निक्षेपागार रसीद (आइडीआर) नियमावली को तत्काल प्रभाव से परिचालित किया जाए।

तदनुसार, भारत से बाहर की पात्र निवासी कंपनियाँ किसी घरेलू निक्षेपागार के माध्यम से भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आइडीआर) जारी कर सकती है। यह अनुमति कंपनी (निक्षेपागार रसीदों के निर्गम) नियमावली तथा उसके बाद उसमें अब तक किए गए संशोधनों और समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) (डीआइपी) दिशानिर्देश, 2000 के अनुपालन के अधीन दी गई है। भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के निर्गम के माध्यम से निधि प्राप्त करने के लिए इच्छुक भारत में कार्यरत वित्तीय/बैंकिंग कंपनियाँ या उनकी किसी शाखा अथवा सहायक कंपनी द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आइडीआर) जारी करने के पूर्व क्षेत्र नियंत्रक (नियंत्रको) का अनुमोदन प्राप्त करें।

भारत में निवासी व्यक्तियों/विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) में निवेश तथा उसके बाद भारत में मान्यताप्राप्त किसी शेयर बाज़ार में लेनदेन से उत्पन्न अंतरण के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 2(v) के अंतर्गत यथा पारिभाषित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) विनियमावली भारत में निवासी व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। सेबी द्वारा विदेशी संथागत निवेशकों के अनुमोदित उप-खातों सहित विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ), सेबी के साथ पंजीकृत और अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) भी समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के अधीन भारत के बाहर निवासी पात्र कंपनियों के भारतीय पूँजी बाज़ार में जारी भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) में निवेश, खरीद, धारण और अंतरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनिवासी भारतीय किसी प्राधिकृत व्यापारी/प्राधिकृत बैंक में अपने नाम में रखे गए एनआरइ/एफसीएनआर (बी) में धारित निधियों में से भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) में निवेश कर सकते हैं।

प्रतिमोचन

भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के स्वचालित प्रतिमोचन की अनुमति नहीं है।

मोचन की अवधि

भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के निर्गम की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आइडीआर) अंतर्निहित इक्विटी शेयरों में मोचन योग्य नहीं होंगी।

अंतरण और मोचन

भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) का अंतर्निहित शेयरों में मोचन/परिवर्तन के समय भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के भारतीय धारकों को (भारत के निवासी व्यक्ति) समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति के अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के मोचन पर निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाए:

(i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियाँ समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना संख्या फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6बी और 7 के शर्तों के अधीन अंतर्निहित शेयरों की या तो बिक्री कर सकती हैं अथवा धारण करना जारी रख सकती हैं।

(ii) सेबी के साथ पंजीकृत भारतीय पारस्परिक निधियाँ समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना संख्या फेमा 120/

आरबी-2004 के विनियम 6सी के शर्तों के अधीन अंतर्निहित शेयरों की या तो बिक्री कर सकती हैं अथवा धारण करना जारी रख सकती हैं।

(iii) निवासी व्यक्तियों सहित भारत में निवासी अन्य व्यक्तियों को भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) को अंतर्निहित शेयरों में बदले जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर केवल विक्रय के प्रयोजन से अंतर्निहित शेयरों को धारण करने की अनुमति दी गई है।

(iv) विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों के सेबी अनुमोदित उप-खातों सहित विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के मोचन पर अंतर्निहित शेयरों के धारण पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम प्रावधान लागू नहीं होंगे।

भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के निर्गम की आय को ऐसी भारतीय निक्षेपागार रसीदें (आइडीआर) जारी करने वाली पात्र कंपनियों द्वारा तत्काल भारत से बाहर प्रत्यावर्तित कर दिया जाए। जारी की गई भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) को भारतीय रु पए में मूल्यवर्गांकित किया जाए।

बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में संशोधन

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति के कुछ पहलुओं को नीचे निर्दिष्ट रू प में संशोधित किया गया है।

समेकित नगरीकरण

विद्यमान नीति के अनुसार समेकित नगरीकरण के विकास में शामिल कंपनियों को अनुमति दी गई है कि वे जून 2009 तक अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का लाभ उठाएं। प्रचलित शर्तों की समीक्षा के उपरांत अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत यह अनुमति अब 31 दिसंबर 2009 तक बढ़ा दी गई है। अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र

वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) जो विशेष रू प से मूलभूत सुविधा क्षेत्र को वित्तीय सहायता में शामिल हैं, उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त के अधिन अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत मूलभूत सुविधा क्षेत्र में उधारकर्ताओं को आगे ऋण प्रदान करने के लिए बहु-पार्श्विक/क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार द्वारा स्वाधिकृत विकास वित्तीय संस्थाओं से बाह्य वाणिज्यिक उधारों का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है कि इन ऋण दाताओं की तुलना में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनका कुल बाह्य वाणिज्यिक उधार का प्रत्यक्ष ऋण संविभाग किसी भी समय 3:1 से कम नहीं हों। यह शर्त 1 जुलाई 2009 से हटा दी गई है। तथापि, पहले की तरह ही इन प्रस्तावों की जाँच रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत की जाती रहेगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) विकासकर्ताओं को अब यह अनुमति दी गई है कि वे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) के भीतर बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में यथापारिभाषित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार का लाभ उठाएं। तथापि, बाह्य वाणिज्यिक उधार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) के भीतर समेकित नगरीकरण और वाणिज्यिक भू-संपदा के विकास के लिए अनुमत नहीं हैं। मूलभूत सुविधा क्षेत्र में (i) विद्युत (ii) दूरसंचार (iii) रेलवे (iv) पुलों सहित सड़के (v) बंदरगाह और हवाई अड्डा (vi) औद्योगिक पार्क (vii) शहरी मूलभूत सुविधा (जल आपूर्ति, सफाई और मल-निक्रास परियोजनाएं) तथा (viii) खनन, शोधन और अन्वेषण शामिल हैं।

पूर्व में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) की ईकाईयों को अनुमति दी गई थी कि वे केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए भी बाह्य वाणिज्यिक उधारों को प्राप्त कर सकते हैं तथा उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) के विकास के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारों की अनुमति नहीं दी गई थी।

जाँच के अंतर्गत कंपनियाँ

ये कंपनियाँ जिन्होंने विद्यमान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति का उल्लंघन किया है और रिज़र्व बैंक और/अथवा प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जाँच के अधीन हैं उन्हें अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए पहुँच की अनुमति नहीं दी गई है। बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए ऐसी कंपनियों द्वारा किसी भी अनुरोध की अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत जाँच की जाएगी।

बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों में ये संशोधन 30 जून 2009 से लागू हो गए हैं। बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अन्य सभी पहलुओं जैसेकि अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा, पात्र उधारकर्ता, मन्यताप्राप्त ऋण प्रदाता, अंतिम उपयोग, समग्र लागत सीमा, औसत परिपक्वता अवधि, पूर्व चुकौती, विद्यमान बाह्य वाणिज्यिक उधार को पुन: वित्तीय सहायता और रिपोर्टिंग व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

शहरी सहकारी बैंक

प्रावधानों को विवेकपूर्ण मानना

रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के ऋण संविभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को विवेकपूर्ण मानने के संदर्भ में दिशनिर्देश तैयार किए है। दिशानिर्देश निम्नानुसार है :

निर्धारित दर से अधिक दर पर अनर्जक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

विनियामक मानदंड प्रावधानों के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को दर्शाते हैं। इसलिए, बैंकों को विद्यमान विनियमों के अंतर्गत निर्धारित दर से उच्च दर पर स्वेच्छा से एनपीए के लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए यदि ऐसी उच्च दरें, वसूली राशि की अनुमानित वास्तविक हानि का प्रावधान करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति पर आधरित हों तथा नीति कई साल से निरंतर अपनायी जा रही हो या संबंधित राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम 2002 में इसका प्रावधान हो। एनपीए के लिए अतिरिक्त विशेष प्रावधान जैसे एनपीए के लिए न्यूनतम विनियामक प्रावधान का सकल एनपीए के साथ समंजन कर निवल एनपीए की राशि परिकलित करनी चाहिए। एनपीए के लिए अतिरिक्त विशेष प्रावधान टियर II पूंजी में शामिल नहीं किया जाएगा।

एनपीए की बिक्री पर अधिक प्रावधान

जोखिम भारित आस्तियों की समग्र सीमा के 1.25% के अधीन एनपीए की बिक्री पर मिलने वाले अधिक प्रावधान टियर II पूंजी में शामिल किए जा सकतें हैं।

उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान

मानक आस्ति तथा एनपीए दोनों मामलों में ब्याज दर में कटौती तथा/या मूलधन की राशि के पुनर्निधारण के कारण उचित मूल्य में हुए ह्रास के लिए किए गए प्रावधानों को संबंधित आस्ति से समंजित करने की अनुमति दी गई है।

उक्त दिशानिर्देश 29 जून 2009 से प्रभावी हो गए है।

ग्राहक सेवा

बैंक अधिकारियों के संपर्क ब्यौरे प्रदर्शित करना

शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि शाखाओं में शिकायत निवारण के लिए संपर्क करने के लिए जिन पदाधिकारियों के नाम प्रदर्शित किये जाते हैं, उनमें बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के अंतर्गत नियुक्त संबंधित केंद्रीय (नोडल) अधिकारी का नाम और अन्य ब्यौरे शामिल हैं।

इसके अलावा, बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपने वेबसाइट पर भी शिकायत निवारण के लिए संपर्क करने के लिए प्रधान कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालयों /आंचलिक कार्यालयों के पदाधिकारियों के नाम और अन्य ब्यौरे प्रदर्शित करें। इस सूची में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के अंतर्गत नियुक्त केंद्रीय (नोडल) अधिकारियों / प्रधान केंद्रीय (नोडल) अधिकारियों के नाम भी शामिल होने चाहिए।

बैंक अपने वेबसाइट पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा क्रेडिट कार्ड, ऋण और अग्रिम, खुदरा बैंकिंग, निजी बैंकिंग, ग्रामीण /कृषि बैंकिंग, एसएमई बैंकिंग जैसे परिचालनों के संबंधित प्रमुखों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर/फैक्स नंबर भी प्रदर्शित करें ताकि ग्राहक आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क कर सकें।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

मज़बूत विनियमन में परिवर्धन तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ करने पर जी 20 कार्यदल की सिफारिशें

(पूर्व अंक से जारी है)

सिफारिश 14

पूंजी को, चक्र के दौरान, हानियों को अवशोषित करने के लिए एक प्रभावी बफर के रूप में कार्य करना है, जिससे हानि की दशा में वित्तीय संस्थानों की ऋण चुकाने की क्षमता और उधार देने की उनकी क्षमता दोनों की रक्षा की जा सके।

निकट भविष्य में, अपेक्षित न्यूनतम स्तर से ऊपर पूंजी बफर को गिरती आर्थिक स्थितियों और ऋण गुणवत्ता के अनुसरण में घटने दिया जाना चाहिए और उन उपायों पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए जो मंदी के दौर में निजी क्षेत्र की अतिरिक्त पूंजी तक पहुंच को सुगम बनाने में सहायक होंगे।

एक बार जब वित्तीय प्रणाली में सुधार आ जाये, बैंकों के लिए पूंजी के न्यूनतम स्तर के संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानक की पर्याप्तता की समीक्षा की जानी चाहिए और पूंजी की गुणवत्ता तथा वैश्विक सुसंगतता को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा, न्यूनतम अपेक्षाओं से अधिक पूंजी के सुरक्षित स्टॉक (बफर) और ऋण हानि प्रावधानों को अनुकूल समय में निर्मित कर रखा जाना चाहिए जिससे वे विनियमित वित्तीय संस्थाओं बड़े आघातों का सामना करने के सक्षम रहे।

- वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार हो जाने पर, रिज़र्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रस्तावों के अनुरूप न्यूनतम पूंजी मानकों को बढ़ाने पर विचार करेगा। अनुकूल समय में पूंजी और प्रावधानन के बफर के निर्माण को रिज़र्व बैंक द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा जिससे पूंजी की स्थिति अप्रत्याशित हानियों का अवशोषण कर सकने और कठिन समय के दौरान इनको काम में लाने योग्य रहे।

सिफारिश 15

जी -20 के नेताओं को बासल II के पूंजी ढ़ांचे को क्रमिक रूप से अपनाने का समर्थन करना चाहिये, जिसमें, जी - 20 के देशों में निरंतर आधार पर सुधार जारी रहेगा।

- 31 मार्च 2009 को भारत के सभी वाणिज्य बैंक बासल II के अनुपालनकर्ता हो गए हैं। शुरू में बासल II ढांचे का मूल दृष्टिकोण अपनाया गया। रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक प्रारूप परिपत्र डाला है जिसमें बासल II ढ़ांचे के उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन की एक सांकेतिक समय -सीमा दी गयी है। अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्थाओं के द्वारा यथोचित कार्यान्वयन के लिए वर्तमान बासल II ढांचे की वृद्धि पर विचार किया जायेगा।

सिफारिश 16

विवेकशील पर्यवेक्षकों और केंद्रीय बैंकों को विदेशी संस्थाओं सहित बैंकों में सुदृढ़ चलनिधि बफर को बढ़ावा देने के लिये एक वैश्विक ढ़ांचा देना चाहिये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बाज़ार की लम्बी अवधि और निधीयन चलनिधि दबाव का सामना कर सकें।

- भारतीय बैंकों के पास तरल लिखतों की काफी बडी धारिता है क्योंकि उन्हें प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात (वर्तमान में, उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 5 प्रतिशत और 24 प्रतिशत) को बनाए रखना पडता है। वास्तव में, सीआरआर/एसएलआर की काफी बड़ी धारिता एक अच्छा चलनिधि बफर उपलब्ध कराती है। बैंकों द्वारा एक दिवसीय गैर-जमानती उधारों और अंतर-बैंक देयताओं के लिये विवेकपूर्ण मानदण्ड उपलब्ध हैं।
- रिज़र्व बैंक ने वैश्विक चलनिधि आयोजना को अपना कर, बैंकों द्वारा एक और सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढ़ांचे को स्थापित करने के मामले की जांच की है, यह ढ़ांचा बैंक व्यापी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के साथ भलीभाँति समन्वित है। इस आयोजना के अंतर्गत बैंकों को अपनी विभिन्न विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं की स्थिति को भारत स्थित उनकी शाखा परिचालनों से रुपया आस्ति देयता स्थिति के साथ तालमेल बिठाना होगा।

सिफारिश 17

वित्तीय संस्थाओं को ओटीसी डेरिवेटिव बाज़ार को समर्थन देने वाले बुनियादी ढ़ांचे को मज़बूती प्रदान करना जारी रखना चाहिये। ऋण डेरिवेटिव के मामले में, इसमें एक केंद्रीय प्रतिपक्ष के माध्यम से उनके समाशोधन को सुगम बनाने के लिये संविदाओं का मानकीकरण करना शामिल हैं। राष्ट्रीय प्राधिकारियों को ओटीसी ऋण डेरिवेटिव के समाशोधन के लिये प्रमुख प्रतिपक्षों के प्रयोग के लिए अपेक्षित रूप में प्रोत्साहन सुविधाएं बढ़ानी चाहिये।

सिफारिश 18

केंद्रीय बैंक सहित विवेकशील पर्यवेक्षकों और अन्य संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा केंद्रीय प्रतिपक्षों का पारदर्शी तथा प्रभावी निरीक्षण होना चाहिये और उन्हें जोखिम प्रबंधन, परिचालन प्रबंधन, मूलगामी प्रक्रियाओं, सुगम पहुंच तथा पारदर्शिता के संबंध में उच्च मानकों की पूर्ति करनी होगी। सीपीएसएस और आइओएससीओ को डेरिवेटिव के प्रमुख प्रतिपक्षों पर अपनी सिफारिशों को लागू करके अपने अनुभवों की समीक्षा करनी चाहिये।

- सीसीआइएल सरकारी प्रतिभूतियों, मुद्रा बाज़ार लिखतों और विदेशी मुद्रा उत्पादों में किये गये लेनदेनों के समाशोधन और निपटान के लिये एक संस्थागत ढ़ांचा प्रदान करता है और इसने सीपीएसएस और आइओएससीओ द्वारा निर्धारित मूल सिद्धांतों को अपनाया है। अक्तूबर 2007 में, सीसीआइएल सीसीपी-12, जो प्रमुख प्रतिपक्ष (सीसीपी) समाशोधन संगठन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, में एक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है।
- सीसीआइएल की भूमिका को धीरे-धीरे बढ़ाकर ओटीसी डेरिवेटिव का घटक बनाया जा रहा है, शुरू शुरू में यह रिपोर्टिंग प्लेटफार्म के रूप में होगा तथा इसके पश्चात् निपटान पहलू को शामिल कर लिया जाएगा।
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 द्वारा रिज़र्व बैंक को देश में भुगतान और निपटान प्रणाली को विनियमित और पर्यवेक्षित करने के लिए प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
- क्रियाविधि का निर्धारण और निपटान को अंतिम रूप देना, जिसे पहले संविदागत करार द्वारा संचालित किया जाता था, को अधिनियम के अंतर्गत कानूनी मान्यता प्रदान की गयी है। रिज़र्व बैंक को प्रणाली सेवा प्रदाताओं के लिये निदेश और दिशानिर्देश जारी करने, उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों को निर्धारित करने तथा उनकी प्रणालियों/परिसरों की लेखा परीक्षा करने और निरीक्षण करने के अधिकार दिये गये हैं।
- सीपीएसएस और आइओएससीओ की सिफारिशें उपलब्ध होने के बाद सीसीआइएल पर उचित रूप से लागू की जायेंगी।

सिफारिश 19

बड़ी वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी प्रतिपूर्ति संरचना उनके स्वयं के दीर्घावधि लक्ष्यों और उनके विवेकपूर्ण जोखिम वहनीयता के समानुरूप है। इस प्रकार, वित्तीय संस्थाओं के निदेशक बोर्ड को अपने समस्त संगठनों में उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी का स्पष्ट तौर-तरीका निर्धारित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी पारिश्रमिक प्रणाली का डिजाइन और परिचालन फर्म के लक्ष्यों और साथ-साथ समस्त जोखिम वहनीयता का समर्थक है। इस प्रक्रिया में शेयर धारकों की भी भूमिका हो सकती है। बोर्डों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पारिश्रमिक योजनाओं की निगरानी करने के लिए समुचित व्यवस्था है।

(अगले अंक में जारी)

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।